

न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश, देहरादून।

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या 1675 सन् 2022

तनुज शर्मा

प्रति

उत्तराखण्ड राज्य

मु0अ0सं0 289 सन् 2022

धारा—420, 467, 468, 471, 34 भारतीय दण्ड
संहिता, 1860 एवं 3, 4, 5, 9, 10 उत्तर प्रदेश

सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का

निवारण) अधिनियम, 1998

थाना— रायपुर, जिला देहरादून।

दिनांक: 19.10.2022

पुकार लगाया गया। प्रार्थी/अभियुक्त के अधिवक्ता श्री यशपाल सिंह
पुण्डरीर एवं ए.डी.जी.सी. (दाण्डिक) श्री जे. के. जोशी उपस्थित।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र के हाशिये पर
अंकित किया गया कि वह प्रार्थना पत्र पर बल नहीं देना चाहते हैं।

तदनुसार, इस जमानत प्रार्थना पत्र बल न देने के कारण गुणदोष पर कोई
टिप्पणी किए बिना जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

(आशुतोष कुमार मिश्र)

चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश,

देहरादून